Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding alleged killing of Sanyasis in the country.

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक बड़े संवेदनशील विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मैंने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक खबर सुनी। उसमें यह होता है कि दो संयासी एक ड्राइवर के साथ जाते हैं और एक जगह भीड़ इकट्ठी होकर, उनको मार-मार कर, पीट-पीट कर हत्या कर देती है। यह एक सामान्य-सी घटना लगती है, लेकिन क्या यह सच है। क्या उन संयासियों ने किसी का कुछ बिगाड़ा था, हत्या की थी या उनका किसी ने कुछ छीन लिया था। वे सिर्फ अपने रास्ते से अपने गुरू के यहां उनके अंतिम संस्कार में जा रहे थे।

महोदय, कोरोना काल था, भीड़ इकट्ठा होने का कोई विषय नहीं था, लेकिन पीट-पीट कर उनकी हत्या कर दी जाती है। यह सुनने में एक सामन्य घटना लगी थी, लेकिन इसके पीछे जब हम गए तो उसमें हम ने पाया और बहुत-सी समितियों ने इसकी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में पाया गया कि उन संतों का सिर्फ इतना दोष था कि वे हिन्दू थे, सनातनी थे, भगवाधारी थे। उन दो संयासियों में एक नाम महाराज कल्पवृक्ष गिरी था। उनकी आयु 70 वर्ष की थी, जो वृद्ध थे। दूसरे श्री सुशील गिरी महाराज थे, जो 33 वर्ष के युवा थे और उनका ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, श्री नीलेश तेलगड़े था, ये सभी हमारे सतेह पंचदशनाम जूना अखाड़ा से संबंधित थे, जिस अखाड़े से मैं हूं। महाराज, मैं पीड़ित हूं।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि आखिर यह सब कैसे हुआ? क्या भीड़ वहां पहले से इकट्ठी थी? मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह संवेदनशील विषय है। वहां भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। ये लोग वहां से यात्रा करके निकल जाते हैं। वे दादरा-नागर हवेली तक पहुंचते हैं। वहां से उनको वापस कर दिया जाता है। उनको आगे नहीं जाने दिया जाता है। जब वे वहां से वापस आ जाते हैं, तो उस भीड़ के बीच में जब उनको पकड़ लिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि दादा आला, दादा आला। यानी वहां किसी व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा थी और वह व्यक्ति दादा आला वहां पहुंचता है और सब साथ में मिल कर

उन साधु-संयासियों की पीट कर हत्या कर देते हैं। जब वे संयासी चौकी में जाते हैं तो पुलिस वाले स्वयं वहां जाकर भीड़ को सौंप देते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है।

महोदय, यह ऐसे ही नहीं होता है। इस स्थान का पुराना इतिहास है। इस स्थान पर सीपीएम के लोगों का अधिकार है। वह वहां के लोगों को …*बोलते हैं, भ्रमित करते हैं और वहां के लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं।

महोदय, मैं यह ऐसे ही नहीं कह रही हूं। मैं एक घटना ठीक इसके चार दिन पहले की बताती हूं। ठाणे के एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. बलबीर भोजन और भोज्य वस्तुओं को दान में वितरीत करने के लिए सारणी गांव के दौरे पर थे, उन पर हमला किया गया था। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के कारण किसी तरह से उनकी जान बच गई। किन्तु पुलिस वाहनों के साथ-साथ उनके वाहन क्षतिग्रस्त हुए और वे अपनी जान बचा कर भागे। इनका अपना पुराना इतिहास है।…(व्यवधान) कृपया आप मुझे बोलने के लिए एक मिनट का समय दीजिए। ये सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। क्षेत्र के संगठनों ने बाहरी लोगों को लाकर सीएए और एनआरसी का विरोध किया।

वे दावा करके नफरत फैलाते हैं कि देश का संविधान उनके अनुसार नहीं चलता है क्योंकि वहां की सरकार वनवासियों-आदिवासियों की नहीं है। यहाँ के आदिवासी पहले के निर्धारित लोग हैं और जो बाकी लोग हैं, वे यहां के नहीं हैं। इसलिए उनका अधिकार है।

महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसकी जाँच की जाए। उसकी जाँच भी नहीं की जाती है। किडनी चोर का आरोप लगाकर कह दिया जाता है ताकि लोग उनको मार डालें। यह विषय नहीं है, न तो इस विषय की जाँच हो रही है, न ही इस विषय को किसी को दिया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि इस विषय को सीधे सीबीआई या एनआईए को सौंपा जाए ताकि हम सनातनी साधु-संन्यासी कभी हिंसा में विश्वास नहीं रखते, कभी असहिष्णु नहीं होते। हमारे यहाँ सभी के लिए स्थान होता है। परन्तु, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त … * के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी संख्या में वनवासी, भोले-भाले, अनपढ़ गरीब लोगों को भ्रमित करके और उन पर दबाव बनाकर चुनाव के समय में उनको धमकियाँ देते हैं, वहां के छोटे-छोटे विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं।

महोदय, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करती हूँ कि इसका संज्ञान लिया जाए और एनआईए को जाँच सौंपकर उनके साथ न्याय किया जाए।

माननीय अध्यक्ष:

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री गोपाल शेट्टी,

श्री सुधीर गुप्ता और

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।